

The Good Life Beckons You!

Yamuna Expressway Industrial Development Authority announces

Affordable Houses Scheme

near Yamuna Expressway







TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF MULTISTOREYED FLATS

IN
SECTOR – 22D
OF
YAMUNA EXPRESSWAY AREA

IMPORTANT DATES FOR BHS - 02/2013

Scheme opens on 13.10.2013 Scheme closes on 21.11.2013

Allotment on draw basis

Draw of lots is expected in Month of January, 2014



A. Scheme Details

Scheme Name: Built up Flats - 02 Scheme Code: BHS - 02/2013

A.1. Details of Flats (1 BHK or 2 BHK)

SL.	Property Code	Stilt plus number of floors (Building)	Type of Flat	Name of Sector	Super Area in (Sqm / Sqft)	No of Flats	Tentative Basic selling price of flats (Rs. in Lakhs)	Registration Money (Rs. in Lakhs)
1.	01	S+4	1BHK	22D	54.75 / 589.11	1818	16.16	1.62
2.	02	S+16	2 BHK	22D	99.86 / 1074.49	1248	27.63	2.77

A-2. Other Charges & Availability of flats in housing complex:-

These charges are over and above the basic selling price of the flats and are applicable in the mentioned categories only.

A.2.1 Preferential Location Charges (PLC)

For 1 BHK (S+4) Flats--

- * For 1st floor PLC charges @100/- Sqft.
- * For 2nd floor for PLC charges @ 50/- Sqft.
- * Above 2nd floor no extra charge on flats.

For 2BHK (S+16) Flats--

- * For 1st & 2nd floor PLC charges @100/- Sqft.
- * For 3rd & 4th floor PLC charges @ 75/- Sqft.
- * For 5th & 6th floor for PLC charges @ 50/- Sqft.
- * Above 6th floor no extra charge on flats

A.2.2 Car Parking

- * In the complex covered area (stilt) car spaces are limited. It is therefore recommended to have stilt car parking space booked at the time of submitting initial application form, for which the separate form of car parking is available with the brochure, applicant who are interested in stilt car parking can fill that form and enclose the car parking form with initial application form.
- * Applicant can apply only for one car space and not more than that, that too will be allocated via draw of lots.
- * Stilt car parking spaces are available on sale for price of Rs 1.00 Lakh per car parking space.
- * Car parking space is to be allocated block wise via draw of lots and the cost/price shall be payable within 30days of its allocation in lumpsum.

A.2.3 Basic Selling Price

- * The above price/cost of the Flats are tentative and may vary at the time of handling over possession of the Flats. The variation may be either due to inhancement in the construction and development cost of the Flats or due to liability on the part of the Authority to pay inhanced land compensation/acquisition cost/ex-gratia as per the order of the Court or by State Government or by the Authority themselves. The Lessee/Allottee do hereby agree and promise to share the proportionate increase and shall pay such inhancement as demanded by the Authority on or before execution of the Lease Deed.
- * Service tax, if applicable, shall be borne by the allottee(s).

A.2.4 The above mentioned type of flats are to be constructed in Sector 22D. Plan of flats is provided in the booklet. It also consist of specification of the fitting & fixtures.

- * In exigency partial changes can be done in designs of the flats and its lay-out.
- * Authority undertakes to maintain the complex in the initial two years starting from the date on which the first lease deed and possession of the flat are given to the lessee. Thereafter it is mandatory that the lessee/owners of the flats will have to form RWA and shall ensure the upkeep and maintenance of the complex in all time a good and habitable condition. It is mandatory for every allottee/Lessee to become member of the Resident Welfare Society.
- * For keeping the housing complex maintained in always a good and habitable condition for first two years lessees/flat owners have to deposit a lump sum fixed amount of Rs, 100000.00 for 1 BHK and Rs. 125000.00 for 2 BHK in the "maintenance corpus" to be opened and maintained by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. The charges shall be payable on or before the execution of the lease deed of the flat.
- * After 02 years from the date of handing over possession to the first person of the Scheme general maintenance work will be taken over by the Resident Welfare Association from the Authority. After that the expenses to be incurred on general maintenance will be borne by the Society by its own sources fixing with the consent of the allottees.

In case there is a delay in formation of RWA, then Authority shall maintain the complex at the cost & expenses of the allottees/Lessee.

The allottees/lessee shall be bound to pay the monthly charges as fixed by the authority.



- * Authority is providing a secure campus to the residents of the complex by providing boundary wall, a guard room and earmarking the space for community center and a small play ground apart from a space on sale for commercial and nursery school within the complex/premises.
- * The community centre may be transferred to any outside agency, to develop and construct and to own, manage and operate such facilities on such terms and conditions as the Authority deem fit at its sole discretion. The allottes shall have the right to use such facilities subject to rules and regulations of the community center, including payment of requisite charges /fee as may be imposed time to time by the authority or the competent person in this behalf.
- * In the flats fire safety and in the complex provision for rainwater harvesting is made.
- * Number of Multi Storeyed flats may increase or decrease at the time of draw.

B. Prescribed Reserve Category

SI. No.	Reserved Category	Percentage of Reservation
1	Farmers whose land has been acquired for the planned development of Yamuna	
	Expressway Industrial Development Authority	17.5 %
2	Functional Institutional Units allotted by Yamuna Expressway Industrial	
	Development Authority	5 %
	Total	22.5%

Note:

- 1. Out of the Multi Storeyed flats reserved for Institutional functional units/establishments, and farmers whose land has been acquired 18% Multi Storeyed flats will be reserved for SC/ST applicants.
- 2. Keeping in view the provision under section 43 of THE PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 1995 a total 3% horizontal reservation shall be kept in other reserved categories as defined above and in unreserved (general) categories as well.
- 3. Handicapped/SC/ST applicants of the aforesaid categories shall have to enclose an attested copy of the certificate issued by the Competent Authority otherwise he/she shall not be given the benefit of reservation.
- 4. If the applications received are less then the Multi Storeyed flats reserved under any reserved category, the remaining Multi Storeyed flats will be transferred to General Category at the time of draw of lots.

Eligibility

B.1General Category

- 1. The applicant should be an Indian citizen and competent to contract and have attained the age of majority.
- 2. He/she should not earlier been allotted plot/flat, in full or in part, on lease hold or free hold basis or under HPTA (Hire Purchase Tenancy Agreement), License Agreement by the Yamuna expressway Industrial Development Authority either in his/her name or his/her spouse name or in the name of his/her minor or dependent children, under this category.
- 3. Eligible applicant, his/her spouse or his/her dependant children can apply for one Multi Storeyed flat only.

B.2Eligibility for prescribed Reserved Category Applicants

- 1. The applicant should be competent to contract and have attained the age of majority.
- 2. Only such applicants/institutional establishments or their managing Director/whole time Director(s)/Proprietor/Partner(s)/Trustee(s) and Tenure-holders/Co-tenure Holders of the land acquired by Yamuna Expressway Industrial Development Authority shall be eligible, provided they have not been allotted any residential plot/flat in the earlier schemes of the Authority.

B.3Eligible Bonafide Institution

Bonafide institution fulfilling the under mentioned conditions on or before closing date of the scheme will be eligible:

- 1. The institution should have been allotted the institutional plot/premises in its name on or before 30-09-2013 & has taken physical possession of institutional plot/premises after legal documentation and has been declared functional from YEIDA on or before closing date of the scheme. The applicant has to enclose a certified copy of the functional certificate with the application form.
- 2. The institutional establishment has cleared all payable dues of the Authority up to date on account of premium, lease rent, interest etc. by the closing date of scheme. Applicant has to enclose No Dues Certificate issued by the Authority with the application form.
- 3. In case application is being made by Managing Director/Whole-time Director/Trustees/Executive member, their names should have been taken on record by the institutional Department of Yamuna expressway Authority on or before closing of scheme.
- 4. In case applicant is made by the Educational Institution, the names of their Directors / Trustees / Chairman / Vice-Chairman / Executive Members should have been taken on record of the Authority on or before closing date of the scheme. One application can be made by one institution.
- 5. Such institutional establishment / their Director / Trustee / Executive Member shall not be eligible where the institutional Establishment has been obtained through transfer and past owner had already obtained a residential plot/flat.
- 6. The eligibility for allotment of residential flat shall be for one flat only either in the name of institution or its Bonafide Managing Director/Whole-time Director/Trustee/Executive Member, irrespective of number of premises in possession of the institution.



E. Payment Plan :-

E.1. Six Year Payment Plan with Interest (Payment Code – E.1)

In this plan, 30% of the total premium of the Multi Storeyed flat (after adjusting registration money already paid) shall be payable within 45 days from the date of allotment as allotment money. Balance 70% shall be payable in Twelve equal half-yearly installments calculated from the 46th day from the date of allotment with interest @12% p.a. on reducing principal amount at the end of each half yearly

NOTE:

For the purpose of documentation the date of execution of lease deed shall be reckoned as the date of taking over of possession.

F. Mode of Payment

- F-1 All payments to the Authority can be made in the form of Demand Draft/Pay Order drawn in favour of "Yamuna Expressway Industrial Development Authority "payable at New Delhi/Noida/Greater Noida". The payments shall be accepted directly at the Bank branches authorized in allotment letter.
- F-2 Normally, no extension in payments shall be allowed. If the amount payable to the Authority is not paid within the prescribed time limit, extension of time for such default period under exceptional circumstances may be allowed up to a maximum of 3 months by CEO (YEIDA), subject to the condition that during the entire payment plan such extensions shall not be more than three times. In the event of extensions, interest @ 15% per annum compoundable quarterly shall be payable on the defaulted amount for the defaulted period.
- F-3 The payment made by allottee/lessee shall first be adjusted towards the interest due, if any, and thereafter the balance shall be adjusted towards the installment due and the lease rent payable.
- F-4 The pre-payment in whole is allowed. Part Payment is not allowed. No rebate shall be allowable in case of pre-payment. In case the allottee opts to pay the balance of the premium in a Lump sum, interest on the balance premium up to the date of deposit shall be chargeable.

G. Area

The area of Multi storeyed flat allotted may slightly vary at the time of handing over of the possession. The premium of the Multi Storeyed flats will proportionately vary due to such variation. If such variation is less than or equal to 10%, no change in location or surrender shall be allowed. However, if such variation is more than 10%, the allottee shall have the option of surrendering the allotment and take back entire money deposited by him/her with 4% simple interest.

H. As is where is Basis

The Multi Storeyed flat will be accepted by the allottee on "as is where is basis" on lease for a period of 90 years unconditionally.

I. Unsuccessful Applicants

Those applicants who have not been allotted Multi Storeyed flats will be returned their registration money without interest, if the period of deposit of such money with the Authority is less than one year. However, if the period of deposit is more than one year, 4% simple interest, shall be paid for the entire period of deposit.

J. Surrender

- J-1 In case of surrender before draw of lots, the entire Registration Money deposited shall be refunded without interest.
- J-2 In case of surrender after the allotment/draw of lots but within 30 days from the date of allotment, 10% of the Registration Money shall be forfeited and balance amount deposited shall be refunded without interest.
- J-3 In case the allotment is sought to be surrendered after 90 days (under Payment Plan E-1) but before 6 months from the date of allotment, 10% of the total premium of Multi Storeyed flat shall be forfeited. Balance amount, if any, shall be refunded without any interest. No separate notice shall be given for the same.
- J-4 In case of surrender after six months from the date of allotment, entire deposited money shall be forfeited.
- J-5 In case the allottee fails to deposit the due amount within the stipulated time, allotment will be liable for cancellation and in case of such cancellation, the money so deposited till the date of cancellation will be forfeited.

NOTE:

The date of surrender in the above cases shall be the date on which application is received at the Authority's office. No subsequent claim on the basis of postal certificate will be entertained.

K. Cancellation

In addition to the other specific clauses relating to cancellation, the Authority/Lessor, as the case may be, shall be free to exercise its rights of cancellation of allotment/lease in the case of:

- K-1. Allotment being obtained through misrepresentation/suppression of material facts.
- K-2. Any violation of directions issued, or rules or regulations framed by the Authority or by any other statutory body.
- K-3. Default on the part of the applicant/allottee/lessee for breach/violation of terms and conditions of registration/allotment/lease and/or non deposit of allotment amount.

In the event of cancellation, under sub-clause (1,2,3) above, the entire deposits till the date of cancellation shall be forfeited and



possession of the Multi Storeyed flat will be resumed by the Authority/Lessor with structure thereon, if any, and the allottee/lessee will have no right to claim any compensation thereof.

L. Period of Lease & Lease Rent

The allotment of Multi Storeyed flat will be given to the allottee on a lease of 90 years and lease rent shall be payable in lump sum at the rate of 10% of the land price.

M. Execution of Agreement to Lease

As per provision of Government Notification No. 3066/11-5-2009-500 (100)/2008 dated 12-6-2009 allottee has to execute an Agreement to Lease and get it registered with Sub Registrar, Gautam Budh Nagar, within six months from the date of allotment otherwise allottee shall have to pay stamp duty at circle rate at the time of execution/registration of Lease Deed. The copy of the Government Notification can be seen on the website of the Authority.

N. Execution of Lease Deed & Possession

The possession is likely to be offered to the allottees within a period of three years from the date of issue of allotment letter. The allottee will be required to enter into legal documentation (execution and registration of lease deed) and take possession of the Multi Storeyed flat within a period of 60 days from the date of offer of possession/intimation to do so. In the event of failure to do so, allottee shall be liable to pay administrative charges at the rate of 1% of the total premium for the extension of one year from the due date given for the execution of legal documents. If the allottee fails, to execute legal documents within the extended time, action for cancellation of allotment and forfeiture of deposited money shall be taken.

Note:-

For the purpose of documentation the date of execution of lease deed shall be reckoned as the date of taking over of possession.

O. Documentation Charges

The cost and expenses of preparation, stamping and registering the legal documents and its copies and all other incidental expenses will be borne by the allottee who will also pay the stamp duty of transfer of immovable property levied or any other duty or charge that may be levied by any authority empowered in this behalf.

P. Mortgage

P-1. The allottee/ lessee may, with the prior consent of the lessor, mortgage the Multi Storeyed flat after execution of lease deed to any scheduled bank / financial institution for raising loan subject to such terms and conditions as may be decided by the authority/lessor at the time of granting the permission, provided that in the event of sale or fore closure of the mortgaged or charged property the lessor shall be entitled to claim and recover such percentage, as decided by the lessor, of the unearned increase in the value of said land as first charge, having priority over the said mortgage charge. The decision of the lessor in respect of the market value of the said land shall be final and binding on all the parties concerned, Provided further that lesser shall have pre-emptive right to purchase the mortgage or charged property after deducting such percentage as decided by the lessor of the unearned increase as aforesaid.

The lessor's right to the recovery of the unearned increase and the pre-emptive right to purchase the property as mentioned herein before shall apply equally to involuntary sale or transfer, be it by or through execution of decree of insolvency/court.

- P-2. The lessee/allottee shall not be allowed to change the specifications made in the Multi Storeyed flat.
- P-3. In case of any violation of any regulation/direction, the defect, if not compoundable could be got rectified by the Authority and the expenses incurred in carrying out such work will be recovered from the allottee/lessee.

Q. Transfer of Multi Storeved Flats

Q.1 Legal Heir

The transfer of Multi Storeyed flat to his / her legal heir will be allowed with prior permission of the Chief Executive Officer/or any officer authorized by CEO in this regard, subject to the fulfillment of prescribed conditions.

Q.2 Other than Legal Heirs

The transfer of Multi Storeyed flat to other than legal heirs will be allowed, after execution of lease deed, with prior permission of the Chief Executive Officer or any officer authorized by CEO in this regard. Such transfer of Multi Storeyed flat may be considered on payment of prescribed transfer charges and fulfillment of the legal conditions as decided by the Chief Executive Officer, who shall have the power to reject or accept such request.

R. Misuse, Additions, Alteration Etc.

The allottee/lessee shall not use the Multi Storeyed flat for any purpose other than residential. The lessee/allottee shall not be entitled to divide the Multi Storeyed flat or amalgamate it with any other flat/flat without the prior written permission of Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in this regard. In case of violation of the above conditions, allotment shall be liable to be cancelled and possession of the premise along with structures thereon, if any, shall be resumed by the Authority.

S. Liability to Pay Taxes

The allottee/lessee will be liable to pay all rates, taxes, charges and assessment of every description imposed by any Authority empowered in this behalf, in respect of the Multi Storeyed flat and by any other statutory body, whether such charges are imposed on the Multi Storeyed flat or on the building constructed thereon, from time to time.



Overriding Power over dormant Properties

The lesser reserves the right to all mines, minerals, coals, washing gold, earth oils, quarries in or under the Multi Storeyed flat and full right and power at any time to do all acts and things which may be necessary or expedient for the purpose of searching for, working and obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving any vertical support for the surface of the flat(s)/flat or for the structure time being standing thereon provided always, that the lessor shall make reasonable compensation to the allottee/lessee for all damages directly occasioned by exercise of the rights hereby reserved. The decision of the CEO on the amount of such compensation will be final and binding on the Allottee/lessee.

Maintenance

- U-1. That the Lessee or RWA will keep the demised premises and buildings
- At all times in a state of good and substantial repairs and in good sanitary condition to the satisfaction of the lessor.
- The available facilities as well as the surroundings neat and clean and in good healthy and safe condition to the convenience of the inhabitants of the place.
- U-2. That the lessee shall abide by all regulations, bye-laws directions and guidelines of the Authority framed/issued under section 8, 9 and 10 or under any other provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 and rules made
- U-3. In case of non-compliance of these terms & conditions, and any directions of the Authority, the Authority shall have the right to impose such penalty as the CEO may consider just and/or expedient.
- U-4. That the lessee shall not display or exhibit any posters, statues, other articles which are indecent or immoral.
- U-5. The lessee shall also not display or exhibit any advertisement or placard in any part of the exterior wall of the building, except which shall be constructed over the demised premises or at a place specified for the purpose by the lessor.
- U-6. For proper maintenance and security, allottees of the block/sector shall have to constitute RWA on or before the expiry of two years from the date of first lease deed of the flats in the complex.

Other Clauses

- V-1 The Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in this regard reserves the right to make such additions/alterations or modifications in the terms and conditions of allotment from time to time as he may consider just or/and
- V-2 In case of any clarification or interpretation regarding these terms and conditions the decision of the Chief Executive Officer or any officer authorized by the CEO in this regard shall be final and binding on the applicant/allottee /lessee.
- If due to any "Force majeure" or such circumstances beyond the Authority's control, the Authority is unable to make allotment or the possession of the allotted Multi Storeyed flat, entire registration money or the deposit, depending on the stage of allotment will be refunded along with simple interest at the rate of 4% per annum.
- V-4 Any dispute between the Authority/Lessor and allottee/lessee shall be subject to the territorial jurisdiction of the Civil Courts having jurisdiction over Yamuna Expressway or the Courts designated by the Hon'ble High Court.
- The allotment/lease will be governed by the provisions of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976(U.P. Act No. 6 of 1976) and by the rules and/or regulations made or directions issued under this Act.
- V-6 The Multi Storeyed flat can also be owned jointly by husband/wife.
- V-7 All arrears due to the lessors are recoverable as arrears of land revenue.

For more information kindly contact:-Manager

(Property - BHS 02/2013 Multistoreyed Flat)

Telephone no. :- 0120- 2395201 Fax no. :- 0120- 2395150

'Undertaking" is available on page no. 16 'अन्डरटेकिंग' पेज नं० 16 पर उपलब्ध है।



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बहुमंजिले फ्लैटों के आवंटन की नियम एवं शर्ते

सैक्टर-22डी

महत्वपूर्ण तिथियाँ

योजना प्रारम्भ की तिथि : 13/10/2013

आवेदन की अन्तिम तिथि : 21/11/2013

आवंटन ड्रा के आधार पर

ड्रा संभावित रूप से जनवरी, 2014 के महीने में निकाला जाऐगा



योजना विवरण (ワ)

योजना का नाम : बिल्ट अप फ्लैट - 02 योजना कोड : बी.एच.एस-02 / 2013

और का विवरण (1 बी एच के या 2 बी एच के)

क्रम संo	प्रॉपर्टी कोड	ग (1 बा.एच.क था 2 बा.ए स्टिल्ट प्लस तलों की संख्या (बिल्डिंग)	फ्लैट का प्रकार	सैक्टर का नाम	यूनिट एरिया वर्ग मीटर/ वर्गफीट में	फ्लैटों की संख्या	फ्लैटों की अनंतिम मूल कीमत (रुपये लाख में)	पंजीकरण राशि (रुपये लाख में)
1.	01	एस+4	1 बी.एच.के	22डी	54.75 / 589.11	1818	16.16	1.62
2.	02	एस+16	2 बी.एच.के	22डी	99.86 / 1074.49	1248	27.63	2.77

ए 2 . आवासीय परिसर में अन्य शुल्क एवं आवासीय परिसर में फ्लैट्स की उपलब्धता 🗕

यह शुल्क केवल फ्लैट्स के मूल बिक्री मूल्य से ऊपर हैं और उल्लिखित श्रेणियों में ही लागू हैं ।

ए.2.1 स्थान वरीयता पर प्रभार (पीएलसी)

1 बीएचके (एस+4) फ्लैट के लिए -

- ☀ 1 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 100 / —वर्ग फीट
- * 2 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 50 / -वर्ग फीट
- * 2 मंजिल से ऊपर के फ्लैट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

2 बीएचके (एस+16) फ्लैट के लिए -

- 💥 1 और 2 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 100 / —वर्ग फीट
- ☀ 3 और 4 मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 75 / —वर्ग फीट
- ☀ 5 और 6 टी मंजिल के फ्लैट्स पर पीएलसी शुल्क 50 / —वर्ग फीट
- * 6 मंजिल से ऊपर के फ्लैट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

ए.2.2 कार पार्किंग

- 🗚 काम्प्लेक्स के कवर क्षेत्र (स्टिल्ट) के रिक्त स्थान सीमित है । आवेदक को यह जानकारी दी जाती है कि वह प्रारम्भिक आवेदन फॉर्म जमा करते समय ही स्टिल्ट कार पार्किंग बुक कर लें, जिसके लिए अलग से आवेदन फॉर्म उपलब्ध है कृपया स्टिल्ट कार पार्किंग लेने वाले आवेदक उसको भर कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- 🔻 आवेदक केवल एक कार के स्थान के लिए ही आवेदन कर सकते हैं,एक से अधिक नहीं, आवेदित किये गये स्थान का अवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा ।
- * स्टिल्ट कार पार्किंग के स्थान रूपये 1 लाख प्रति पार्किंग की दर से उपलब्ध हैं ।
- 🔻 कार पार्किंग के स्थान का चयन ड्रा के माध्यम से किये जायगा। अवंटित कार पार्किंग की कीमत / लागत का भुगतान आवंटन के 30 दिनों अंदर एकमुश्त भुगतान के रूप में करना

ए.2.3 मूल बिक्री मूल्य

- 🜟 दिए गए कीमत / लागत अस्थायी है और फ्लैट्स के कब्जे देते समय इसमें भिन्नता आ सकती है। भिन्नता फ्लैट्स के निर्माण और विकास या प्राधिकरण, अदालत या राज्य सरकार द्वारा भूमि मुआवजा / अधिग्रहण राशि / अनुग्रह राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि के कारण हो सकती है। पट्टेवार / आवटी को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले इस प्रकार की किसी भी वृद्धि का भुगतान करने संबंधित सहमति और अनुपातित साझेदारी का वादा करना होगा ।
- * सेवा कर में यदि कोई वृद्धि हुई तो आवंटी उसका वहन करेंगे।

ए.2.4 ऊपर उल्लिखित प्लैट्स का निर्माण्स सैक्टर—22डी में होगा। विवरिणका के साथ प्लाट के डिजाईन और खाके उपलब्ध हैं। इसमें फिटिंग और फिक्सचर का भी वर्णन है।

- 🜞 फ्लैट्स के डिजाईन और इसके खाके में कुछ जरूरी आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
- 🜟 यह प्रस्तावित है कि पहले काम्प्लेक्स का कब्जा होने के दो वर्ष तक रख रखाव का काम प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और उसके बाद काम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटियों द्वारा गठित रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। इसके बाद यह अनिवार्य होगा की पट्टेदार / मालिक आरडब्लूए का गठन करें और काम्प्लेक्स की मरम्मत और रख रखाव के द्वारा हमेशा इसे अच्छा और रहने योग्य स्थान बनाये रखने की बात सुनिश्चित करें। हर आवंटी को रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य है ।
- 🗶 पहले दो वर्ष सोसाइटी को हमेशा साफ़ सुथरा और रहने योग्य बनाये रखने के लिए आवंटियों को 1 बीएचके के लिये 100000.00 रूपये और 2 बीएचके के लिए 125000.00 रूपये रख रखाव के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा खोले और अनुरक्षित किये ''कोष'' में जमा करने होंगे। यह शुल्क पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले देय
- 🔻 योजना के प्रथम व्यक्ति को अधिकार सौपने के दो वर्षी के बाद प्राधिकरण से सामान्य रख रखाव का कार्यभार रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ले लिया जायेगा । इसके बाद सामान्य रख रखाव पर होने वाले खर्च को आवंटियों की सहमति से सोसाइटी अपने श्रोतों द्वारा वहन करेगी ।
- 🗶 अगर आरडब्लूए नहीं गठित हुआ तो सोसाइटी काम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटियों की लागत और खर्च पर करेगी और सोसाइटी मासिक आधार पर निर्धारित शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र होगी।
- 🔻 प्राधिकरण काम्प्लेक्स / परिसर में वाणिज्यिक / नर्सरी स्कूल के लिए स्थान बिक्री के अलावा निवासियों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी, एक गार्ड रूम, सामुदायिक केंद्र के लिए
- स्थान और एक छोटे से खेल का मैदान भी उपलब्ध करा रहा है । 🗶 प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके सभी नियमों और शर्तों के साथ सामुदायिक केंद्र को खरीदने, उसके प्रबंधन और सभी सुविधाओं के संचालन का कार्य किसी बाहरी एजेंसी को हस्तानांतरित कर सकता है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा समय समय पर लगाये जाने वाले अपेक्षित प्रभार / शुल्क भुगतान के बाद यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कम्युनिटी सेंटर के नियमों वं शर्तों के अधीन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं ।
- 💥 फ्लैट्स में अग्नि सुरक्षा और काम्प्लेक्स में वर्षा के जल के संग्रहण का प्रावधान कर दिया गया है।
- 💥 ड्रा के समय बहु मंजिला फ्लैट्स की संख्या बढ़ या घट सकती है।



बी- निर्धारित आरक्षित श्रेणियाँ :

क्र.सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	कृषक, जिनकी भूमि ग्रेटर नौएडा के सुनियोजित विकास के लिये अधिग्रहित की गयी है।	17.5 प्रतिशत
2.	यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित क्रियाशील संस्थागत इकाईयां।	5 प्रतिशत
	कुल आरक्षण	22.5 प्रतिशत

नोट:

- 1. संस्थागत कार्यात्मक ईकाईयों / प्रतिष्ठानों और कृषक जिनकी भूमि बहुमंजिला इमारतों के लिये अधिग्रहित की गयी है, उसमें 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भी बहुमंजिला फ्लैट में आरक्षण मिलेगा ।
- 2. विकलांगजन के लिये निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा 43 के अंतर्गत कुल 3 प्रतिशत हौरीजोण्टल आरक्षण, ऊपर बताई गई आरक्षित श्रेणियों तथा अनारक्षित श्रेणी (सामान्य) के लिए अनुमान्य होगा।
- 3. उक्त श्रेणियों के विकलांग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 4 अगर ड्रा के समय आरक्षित बहु मंजिला फ्लैट की संख्या प्राप्त आवेदन से कम पाई गयी तो बचे हुए फ्लैट समान्य श्रेणी को हस्तानांतरित कर दिए जायेंगें ।

ग्राहयता

बी-1 सामान्य श्रेणी

- 1 आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
- 2 इस श्रेणी में आवेदक अथवा उसके पत्नी / पित के नाम, अथवा आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भूखण्ड अथवा फ्री—होल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. (हायर पर्चेज टेनेंसी एग्रीमेन्ट) लाइसेंस के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी पूर्व योजना में आवंटित न किया गया हो।
- 3 पात्र आवेदक उनके पति / पत्नी अथवा आश्रित केवल एक बहुमंजिलीय फ्लैट हेत् आवेदन कर सकते हैं।

बी-2 विहित आरक्षित श्रेणियों की पात्रता

- 1 आवेदक अनुबन्ध करने हेतू सक्षम हो एवं उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
- 2 केवल ऐसे आवेदक/औद्योगिक इकाईयां/व्यावसायिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/संस्थान अथवा उनके प्रबन्ध निदेशक/पूर्ण कालीन निदेशक/भागीदार/एकल स्वामी/ट्रस्टी/ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के लिये अधिग्रहित की गयी भूमि के खातेदार/सह—खातेदार श्रेणी के आवेदक, आवेदन हेतु पात्र होंगे जिनको आवासीय भूखण्ड/फ्लैट प्राधिकरण की किसी भी पूर्व योजना में प्राधिकरण द्वारा आवंटित न किया हो।

बी-3 विशिष्टि श्रेणियों पर लागू पात्रता की विशेष शर्तें -

निम्न शर्तों को पूर्ण करने वाली वास्तविक औद्योगिक इकाईयां पात्र होंगी -

- 1. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 30.09.2013 को अथवा इससे पूर्व तक संस्थागत प्लाट/परिसर आवंटित दिया गया हो और कानूनी दस्तावेज के साथ संस्थागत प्लाट/परिसर का भौतिक कब्जा ले लिया हो और जिसे यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण द्वारा योजना के बंद होने की तिथि से पूर्व क्रियाशील घोषित कर दिया गया हो। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ क्रियाशीलता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
- 2. संस्थागत स्थापना योजना की तारीख से पहले प्राधिकरण की सभी देय बकाया जैसे प्रीमियम, लीज किराया और ब्याज आदि को मंजूरी मिल जानी चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा जारी अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 3. यदि शैक्षणिक संस्थान के पक्ष में आवेदन किया जाता है तो उनके निदेशक / ट्रस्टी / कार्यकारी / सदस्य का नाम प्राधिकरण के संस्थान विभाग के रिकॉर्ड में योजना समाप्त होने की अंतिम तिथि तक दर्ज होना अनिवार्य होगा। एक संस्थान द्वारा केवल एक आवेदन किया जा सकेगा।
- 4. ऐसे संस्थान / उनके निदेशक / ट्रस्टी / कार्यकारी सदस्य भूखंड हेतु आवेदन पात्र नहीं होंगे जिन्हें संस्थागत भूखंड अपने पक्ष में अंतरित कराया हो तथा जिन्हें पूर्व में आवासीय भूखंड / फ्लैट आवंटित हो चुका हो ।
- 5. आवासीय फ्लैट के आवंटन के लिए पात्रता के लिए एक फ्लैट किसी संस्थान के नाम अथवा इसके वैध प्रबंधक निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / ट्रस्टी / कार्यकारी सदस्य के नाम से हो बजाए इसके की संस्थान के कब्जे में कितने परिसर है ।
- 6. चैरिटेबल एवं धार्मिक संस्थान और इसके ट्रस्टी / निदेशक / सदस्य / आदि आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- 7. आवेदक कंपनी को इस आशय को प्रस्तावित करना होगा कि कंपनी स्वयं के नाम से अथवा अपने एकल स्वामी / साझीदारी / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक के नाम से आवेदन कर रही है तथा कंपनी के आवेदन पत्र भरने एवं हस्ताक्षर करने हेतु (नाम, उपनाम) अधिकृत है।

बी-4 पात्र कृषक जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत / क्रय की गयी हो।

इस श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत पात्रता शर्ते तथा आवंटन प्रकिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- 1. ऐसे कृषक आवेदन के लिए पात्र होंगे जिनकी भूमि **यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा** 30.09.2013 को या उसे पूर्व अधिगृहीत / क्रय की गई हो तथा उस पर प्राधिकरण द्वारा निर्विवाद व अतिक्रमण मुक्त कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। (ब्रोशर में दिए गए प्रपत्र के अनुसार इस आशय का शपथ—पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अडरटेकिंग—1 के अनुरूप जमा करना होगा।)
- 2. यदि भूस्वामी अथवा उसके पति / पत्नी / आश्रित बच्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही फ्लैट / भूखण्ड आवंटित हुआ है तो वह इस आरक्षण योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- 3. यदि किसी खाते में एक से अधिक सह—खातेदार हैं, ऐसी दशा में समस्त सह—खातेदार योजना में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। इन समस्त सह खातेदारों के मध्य ड्रा करके एक सफल सह—खातेदार का चयन किया जायेगा एवं उसी सफल सह खातेदार को योजना के आखरी ड्रा आफ लॉट्स में सम्मिलित किया जायेगा।
- 4. इस श्रेणी के अंतर्गत, सफल आवेदक / आवंटी आवंटित बहु मंजिला फ्लैट्स को आवंटन तिथि के पांच साल बाद तक हस्तानात्रित कर सकते है ।
- 5. अधिग्रहित भूमि के अलावा यमुना प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित / क्रय की गयी भूमि पर या अन्य किसी और भूमि जिसके आवंटन के लिए इस योजना में आवेदन पत्र निकल गया हो आवेदक द्वारा अतिक्रमित नहीं होना चाहिए । इस आशय का शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग—2 के अनुरूप जमा करना होगा जो ब्रोशर में संलग्न है ।
- 6. आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार / सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म–11 सी की सत्यापित



प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।

7. अगर, सत्यापन पर या किसी भी स्तर में यह पाया गया कि ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी का भी उलंघन हुआ है तो आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जायेगा और पंजीकरण का पैसा वापस कर दिया जायेगा ।

सी-आवंटन की प्रक्रिया:

प्रत्येक पात्र श्रेणी के लिए आवंटन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा। सर्व प्रथम ड्रा आवंटन के लिए सफल आवेदक का चुनाव करने के लिए किया जायेगा। आवंटी को विशिष्ट बहुमंजिला फ्लैट संख्या के आवंटन के लिए ड्रा फ्लैट्स की संरचना पूर्ण होने के बाद किया जायेगा ।

यदि ड्रा के समय आरक्षित बहु मंजिला फ्लैट की संख्या प्राप्त आवेदन से कम पायी गयी तो बचे हुए फ्लैट समान्य श्रेणी को हस्तानांतरित कर दिए जायेंगे ।

डी- आवेदन कैसे करें

आवेदन प्रपत्र एवं प्रोसेसिंग फीस के लिए रुपये 1100 / – के भुगतान के साथ निम्नलिखित किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस स्थिति में ब्रोशर के मूल्य के लिये रु. 1100 / — का डिमाण्ड ड्राफ्ट पंजीयन धनराशि के साथ अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विधिवत भरे हुए तथा आवश्यक संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अपेक्षित पंजीयन राशि सहित निम्नलिखित किसी भी बैंक की शाखा में सभी श्रेणी के आवेदकों द्वारा योजना की समाप्ति से पूर्व जमा कराने होंगे। आवेदक अपनी अर्हता अनुसार आवेदन पत्र के साथ पंजीयन धनराशि 'यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण' के नाम से बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जिसकी देयता नई दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा पर होगी, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर निम्नलिखित बैंक की शाखाओं में जमा करेंगे। आवेदन पत्रों की अधिकृत पावती / रसीद संबधित बैंक द्वारा जारी की जायेगी।

ा सामान्य श्रेणी एवं संस्थागत विहित श्रेणियों के लिए निर्धारित बैंक शाखायें :

ग्रम सं₀	बैंक कोड	बैंक का नाम एवं पता
	01	🖝 ऐक्सिस बैंक, जी–4 , अल्फा कामर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा
		🖝 ऐक्सिस बैंक के — 21 एवं 22 सैक्टर — 18, नौएडा
		🖝 ऐक्सिस बैंक , 29 , सी , सी , बसंत लोक काम्प्लेक्स, वसंत विहार, नई दिल्ली,
2	02	इलाहाबाद बैंक , ए − 6 , सैक्टर − 10 , नौएडा
		🖝 इलाहाबाद बैंक , 1, अंसारी रोड , दरियागंज , नई दिल्ली —02
		🖝 इलाहाबाद बैंक , हजरतगंज , पोस्ट बाक्स —09 , लखनऊ
3	03	🖝 बैंक आफ बड़ौदा, फस्ट फ्लोर, शॉपिंग सेंटर , सेक्टर —गामा —2, ग्रेटर नौएडा
		🖝 बैंक आफ बड़ौदा , अल्फा कामर्शियल सेंटर, ग्रेटर नौएडा
4	04	🖝 बैंक आफ महाराष्ट्रा, बी–3, सेक्टर – अल्फा –1 , कामर्शियल बेल्ट , ग्रेटर नौएडा
		🖝 बैंक आफ महाराष्ट्रा, 12, विकास मार्ग, दयानन्द विहार, दिल्ली — 92
5	05	🖝 बैंक आफ इंडिया, सी -6/7/8 प्रथम तल, सैक्टर-बीटा - 2, कामर्शियल काम्प्लेक्स, ग्रेटर नौएडा
6	06	🖝 सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, एन.ई.पी.जेड, फेज—2 ,नौएडा
	9	🖝 सेंट्रल बैंक आफ इंडिया , 1398, ग्राउंड फ्लोर, चांदनी चौक, दिल्ली
7	. 07	🖝 केनरा बैंक, जगत फार्म, सैक्टर—ओमेगा—1 , ग्रेटर नौएडा
8 08 रचडीएफसी बैंक, पी-02 कामर्शियल काम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रे		🖝 एचडीएफसी बैंक, पी–02 कामर्शियल काम्प्लेक्स, सैक्टर–ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा
		🖝 एचडीएफसी बैंक, जी—28 एवं 29, सैक्टर—18 , नौएडा
9	09	🖝 इंडसइन्ड बैंक, सैक्टर –गामा–1, ग्रेटर नौएडा
		🖝 इंडसइन्ड बैंक, गोपाल दास भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली
10	10	🖝 इंडियन बैंक, जगत फार्म, सैक्टर-गामा-01 , ग्रेटर नौएडा
		🖝 इंडियन बैंक, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
		🖝 इंडियन बैंक, एबी—20 , सफदरगंज एन्क्लेव, नई दिल्ली
		🖝 इंडियन बैंक, सैक्टर—18, नौएडा
11	11	🖝 आईसीआईसीआई बैंक, पी-02, कामर्शियल काम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा
		🖝 आईसीआईसीआई, के–1, सीनियर मॉल, सैक्टर–18 , नौएडा
12	12 🖝 इंडियन ओवरसीज बैंक, सैक्टर—37, नौएडा	
13	13	🖝 आईएनजी वैश्य बैंक, 6450, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा
100		🖝 आईएनजी वैश्य बैंक, अंसल फार्चून आर्केड, सैक्टर—18, नौएडा
18		🖝 आईएनजी वैश्य बैंक, 31,नवयुग मार्केट,गाजियाबाद
14	14	🖝 कोटक महिंद्रा लिमिटेड, हर्षा मॉल, शॉप नं0—3,4, अल्फा कामर्शियल बेल्ट , ग्रेटर नौएडा



डी-1 सामान्य श्रेणी एवं संस्थागत विहित श्रेणियों के लिए निर्धारित बैंक शाखायें:

क्रम सं0	बैंक कोड	बैंक का नाम एवं पता
15 15		🖝 ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, जगत फार्म, सैक्टर—गामा—01, ग्रेटर नौएडा
		🖝 ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, विनायक हॉस्पिटल के पास, सैक्टर—27, नौएडा
		🖝 ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, सैक्टर—2, नौएडा
16	16	🖝 पंजाब नेशनल बैंक, जेएसएस अकादमी, सैक्टर—62, नौएडा
		🖝 पंजाब नेशनल बैंक, सैक्टर—अल्फा—02, ग्रेटर नौएडा
		🖝 पंजाब नेशनल बैंक, एच−1ए / 11 सैक्टर−63, नौएडा
		🖝 पंजाब नेशनल बैंक, सी—13, सैक्टर —01, नौएडा
		🖝 पंजाब नेशनल बैंक, सैक्टर—13, वसुंधरा, गाजियाबाद
		पंजाब नेशनल बैंक, डी − 1 / 1, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली
		🖝 पंजाब नेशनल बैंक, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली ,
		🖝 पंजाब नेशनल बैंक, सैक्टर—18, नौएडा
17	17	🖝 पंजाब एंड सिंध बैंक, अल्फा कमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा
18	18	🖝 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जर स्ट्रोएमिया शॉपिंग काम्प्लेक्स, इन्सीट्यूशनल एरिया , ग्रेटर नौएडा
		🖝 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एच–4, सैक्टर–11, नौएडा
19	19	🖝 विजया बैंक, सेक्टर—गामा—01 , ग्रेटर नौएडा
		🖝 विजया बैंक, सैक्टर—18, नौएडा
20	20	🖝 येस बैंक लिमिटेड, 56, जनपथ, अल्फास बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

डी-2 कुषक श्रेणी का बैंक :-

क्रम सं	बैंक कोड	बैंक का नाम एवं पता
1	01	🖝 एच.डी.एफ.सी. बैंक, अल्फा कामर्शियल बैल्ट, ग्रेटर नौएडा

ई भूगतान योजनाः

ई-1 ब्याज सहित छह वर्षीय किश्त योजना (भुगतान कोड ई-1)

इस योजना में, बहुमंजिलीय फ्लैट की कुल राशि की 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन तिथि से 45 दिन के अन्दर आवंटन राशि के रूप में देय होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि 12 छःमाही किश्तों / 12 प्रतिशत ब्याज सिहत रिडयूसिंग प्रिन्सीपल अमाउन्ट प्रत्येक छःमाही की दर सें देय होगा। किश्तों की गणना आवंटन तिथि के 46वें दिन से की जायेगी।

नोट :- प्रलेखन के प्रयोजन के लिए पट्टा विलेख की निष्पादन की तारीख को कब्जे का पदभार संभालने की तारीख माना जायेगा ।

एफ- भूगतान विधि:

एफ—1 सभी भुगतान प्राधिकरण को 'यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट / प्रेषणादेश, जो नई दिल्ली / नौएडा / ग्रेटर नौएडा पर देय हों, के रूप में किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिए आवंटन पत्र में वर्णित अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे ही स्वीकार किये जायेंगे।

एफ—2 सामान्यतः भुगतान हेतु समय विस्तरण अनुमान्य नहीं होगा। यदि प्राधिकरण को देय राशि का भुगतान, निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया है, इस प्रकार विलम्ब अवधि के लिए समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यमुना एक्सप्रेसचे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) द्वारा अधिकतम ३ महीनों के लिए इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जाएगा कि कुल भुगतान योजना के दौरान ऐसे समय विस्तरण ३ से अधिक नहीं होंगे। समय विस्तरण की दशा में १५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज (जिसका ऑकलन तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर किया जाएगा), की दर से बकाया धनराशि पर देय होगा।

एफ–3 आवंटी / पट्टाधारक द्वारा जमा की गयी धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज, यदि हो, में समायोजित की जायेगी तदोपरान्त शेष धनराशि देय किश्त में व देय लीज़ रेन्ट में समायोजित की जायेगी।

एफ–4 पूर्ण पूर्व भुगतान की अनुमति है। आंशिक भुगतान की अनुमति नहीं है। पूर्व भुगतान की स्थिति में कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आवंटी एकमुश्त में प्रीमियम राशि भुगतान का विकल्प ग्रहित करता है तो शेष धनराशि पर जमा तिथि तक ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

जी- क्षेत्रफल

आवंटित बहुमंजिला फ्लैट का क्षेत्रफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में बहुमंजिला फ्लैट का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भवन की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमति नहीं होगी। यदि अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटी को आवंटन समर्पित करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गयी समस्त धनराशि 4 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।

एच- 'जैसे है जहां है' के आधार पर:

क्रेता द्वारा बहुमंजिला फ्लैट 'जैसे है जहां है' के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर, जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि से प्रारम्भ होगी, स्वीकार किये जायेंगे।

आई- असफल आवेदक:

उन आवेदकों की पंजीयन राशि, जिन्हें भवन आवंटित नहीं हो सके हैं और यदि राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी। यदि जमा राशि की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो उस पर 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से जमा की सम्पूर्ण अवधि के लिए ब्याज दिया जायेगा।

जे- समर्पण:

जे-1 ड्रा से पूर्व समर्पण की स्थिति में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।



- जे—2 आवंटन/ड्रा के उपरान्त 30 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्यांज के लौटा दी
- जे—3 ऐसी स्थिति में जब आवंटन समर्पण की घोषणा के 90 दिनों (भुगतान योजना ई—1 के अंतर्गत) के अन्दर हो लेकिन आवंटन तिथि से 6 महीने के अन्दर समर्पण दे दिया जाये, तो बहुमंजिला फ्लैट की कुल प्रीमियम का 10 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा। शेष राशि, यदि कोई हो , बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी । इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
- जे-4 आवंटी द्वारा आवंटन के छःमाह के उपरान्त समर्पण करने पर समस्त जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
- जे—5 यदि आवंटी निर्धारित समय में देय राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार से निरस्त किये गये बहुमंजिला फ्लैट के लिए निरस्तीकरण की तारीख तक जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

टिप्पणी : उपरोक्त मामलों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन प्राधिकरण के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होगा। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित अनुच्छेदों के अतिरिक्त, प्राधिकरण / पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख / आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है ।

- के-1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर।
- के—2. प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्ते अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
- के—3. आवेदक / आवंटी / पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण / आवंटन / पट्टे की नियम व शर्तों के तोड़ने / उल्लंघन करने और / अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर। उपरोक्त के उप अनुच्छेद (1, 2 व 3) के अंतर्गत, निरस्तीकरण की दशा में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा समस्त राशि जब्त कर ली जायेगी और खण्डमय ढांचे के बहुमंजिला पलैट, यदि कोई है तो, प्राधिकरण / पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले लिया जाएगा, और आवंटी / पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं

एल- पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया :

फ्लैट का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टाधिकार पर दिया जाएगा और पट्टा किराया कब्जा लेने से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा।

एम- पट्टा अनुबंध का निष्पादन:

अधिसूचना सं0 3066 / 11.5.2009-500(100) / 2008 दिनांक 12-6-2009 में वर्णित प्राविधान के अंतर्गत आवंटी को आवंटन के छः माह के भीतर पट्टा अनुबंध निष्पादित करा कर सब रजिस्ट्रार गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में निबंधित करना होगा अन्यथा लीज़ डीड के निष्पादन के समय उन्हें सर्किल दर पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अधिसूचना की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

एन- पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन :

आवंटित बहुमंजिला फ्लैट का कब्जा आवंटन—पत्र निर्गत करने के तीन वर्षों के भीतर आवंटी को आफर कर दिया जाना सम्भावित है। आवंटी को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के 60 दिन के भीतर कानूनी दस्तावेज / पट्टा प्रलेख (लीज डीड का निश्पादन एवं पंजीकरण) निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को 1 प्रतिशत की दर पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसमें कानूनी दस्तावेज के निष्पादन के लिए अंकित तिथि से अधिकतम एक वर्ष की समय बढ़ोत्तरी दी जा सकेगी। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

नोट :- प्रलेखन के प्रयोजन के लिए पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख कब्जे का पदभार संभालने की तिथि के रूप में गिना जायेगा।

ओ- दस्तावेजी प्रभार:

कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियां बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकरिमक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।

- पी-1. आवंटी / पट्टाधारक, प्राधिकरण / पट्टादाता की पूर्व सहमति लेकर भूखण्ड / फ्लैट की लीज डीड निष्पादन / पंजीकरण के पश्चात किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेतु फ्लैट गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्ते आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही रेहन / गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर, पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखण्ड / फ्लैट की अनर्जित बढ़ी कीमत का वो प्रतिशत जो पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। भूखण्ड / फ्लैट के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन / गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्व वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वक्रय का अधिकार होगा। पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढ़ोत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वक्रय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय / दिवालियेपन की आज्ञप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।
- पी-2. आवंटी को बहुमंजिला फ्लैट में किसी तकनीकी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- पी-3. परिवर्तन की दशा में खामी होने पर प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पूर्ण नुकसान की वसूली आवंटी से की जायेगी।

क्यू – बहुमंजिला फ्लैट का हस्तांतरण :

- क्यू-1 कानूनी उत्तराधिकारी:
- अपने (महिला / पुरुष) कानूनी उत्तराधिकारी को बहुमंजिला प्लैट के हस्तान्तरण की अनुमित मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा सीईओ द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी।
- क्यू-2 कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त:



कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को बहुमंजिला फ्लैट के हस्तान्तरण की अनुमित मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। बहुमंजिला फ्लैट के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

आर- दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि :

बहुमंजिला फ्लैट का प्रयोग आवासीय के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को परिसर उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य परिसर के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और परिसर का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

एस- करों के भुगतान का दायित्व :

आवंटी / पट्टाधिकारी को भूमि के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार बहुमंजिला फ्लैट, फ्लैट अथवा उस पर निर्मित किसी भवन के संबंध में लगाये गये हों।

टी- भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु :

प्राधिकरण का आवंटित आवासीय बहुमंजिला फ्लैट के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज की तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझेंगे। आवासीय बहुमंजिला फ्लैट के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी बहुमंजिलीय फ्लैट के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा। किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी / पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी / पट्टाधिकारी को भी मान्य होगा।

यू- अनुरक्षण :

- यू-1 पट्टाधारक समूचे परिसर तथा भवन को
- 1. हर समय बेहतर हालत में रखेगा और आवंटी की संतुष्टि के अनुरूप बेहतर सफाई आदि की व्यवस्था करेगा।
- 2. आवंटी बहुमंजिला फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी उपलब्ध सुविधाओं को साफ–सूथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
- यू-2 आवंटी को प्राधिकरण के अनुच्छेद 8 9 और 10 अथवा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सभी विनियमों, उप नियमों, निर्देशों तथा मार्गनिर्देशों का पालन करना होगा।
- यू—3. प्राधिकरण की नियम व शर्तों का अनुपालन न होने पर, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार जो दण्ड निर्धारित किया जाएगा, वह दण्ड मान्य होगा।
- यू-4. पट्टाधारक ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकृल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।
- यू–5. पट्टादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों अथवा निर्माण की गयी दुकान के सतह को छोड़कर पट्टाधारक दुकान के दीवार के बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्लेकार्ड का प्रदर्शन नहीं करेगा।
- यू-6. समुचित अनुरक्षण एवं सुरक्षा हेतु ब्लाक / सैक्टर समूह के आवंटियों को आर.डब्लू ए. / एन.एम.सी. गठित करनी होगी।

वी-अन्य अनुच्छेद:

- वी-1 मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय-समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
- वी—2 इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
- वी—3 किसी दैवीय आपदा अथवा प्राधिकरण के नियंत्रण के बाहर किसी भी परिस्थिति के फलस्वरूप प्राधिकरण आवंटन देने अथवा आवंटित बहुमंजिलीय फ्लैट पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
- वी—4 सभी विवादों का आवंटन / पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार सम्बद्ध जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है, अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।
- वी—5 आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 (यू.पी. एक्ट नं. ६, 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम / विनियम लागू माने जायेंगे।
- वी-6 बहुमंजिला फ्लैट का स्वामित्व पति / पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमन्य है।
- वी-7 प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया ऑफ लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।

टिप्पणी - ब्रोशर के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख में यदि कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी आलेख अन्तिम एवं मान्य होगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

मैनेजर

(प्रॉपर्टी -बी.एच.एस 02/2013 बहुमंजिले फ्लैट)

फोन नं 0120- 2395201, फैक्स नं. 0120- 2395150

'अन्डरटेकिंग' पेज 16 पर उपलब्ध है



Undertaking - I


अन्डरटेकिंग-1

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन : अभियंत्रण विभाग

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड / जानकारी में सच व सही है।

















SPECIFICATION - 1 BHK & 2 BHK

S.No	Descriptions	2 BHK (S+16)	1 BHK (S+4)
1	StructureRCC Framed	Stilt Parking with 16 Floors	Stilt Parking with 4 Floors
		RCC Framed	Bricks
2	Walls	Bricks	Vitrified Tiles
3	Floor	Vitrified Tiles	Kota
	Common Area	Kota	Kota
	Stairs	Kota	Coloured
4	Wall Tiles	Coloured	Marble Stone
5	Counter Top	Granite Stone	Ivial ble delite
6	Door-Window	Chutter	MS'L' with Flush Shutter
	Door	MS'L' with Flush Shutter	MS Rolled Section with grill
	Window	UPVC	Wid Kolled Godier Williams
7	Finishes		Plaster with Grit Finish
	External	Plaster with Grit Finish	Plaster with OBD
	Internal	Plaster with OBD	Plaster With OBB
8	Electrical	3	DVC
	Conduits	PVC	PVC Multi-Stranded CU-FR
	Wiring	Multi-Stranded CU-FR	
	Switches	Modular / Piano Type	Modular / Piano Type
9	Sanitary		Daniero Hindware
	Chinaware	White - Cera, Parryware, Hindware	White - Cera, Parryware, Hindware
	Water Supply	CPVC	CPVC
	Drainage	HCL	HCL
	Fittings	СР	СР
10	External Developme	nt	District
10	Road	Upto 4.5 M Interlocking Blocks	Upto 4.5 M Interlocking Blocks
		4.5 M to 6.0 M Concrete Roads	4.5 M to 6.0 M Concrete Roads
	Paving	Interlocking Concrete Blocks	Interlocking Concrete Blocks
	Parking	Interlocking Concrete Blocks	Interlocking Concrete Blocks





YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

First Floor, Commercial Complex, P-2, Sector Omega-1, Greater Noida City - 201308 Distt. Gautam Buddh Nagar, (U.P.) Telephone No. 0120 - 2395201 Fax No. 0120- 2395150 Website: www.yamunaexpresswayauthority.com